

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1647 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment Cum Renewal of Type Approval No. 1647

मद/For Item: आईसो प्रोपनोल/ आईसो प्रोपाइल एलकहोल ISO PROPANOL/ ISO PROPYL ALCOHOL

यह घोषित किया जाता है कि यू एस एस आर ईथाइल एलकहोल के बदले मेसर्स थर्मोफिशर साइन्टिफिक प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई- 400 022, द्वारा विकसित और उत्पादित, "आईसो प्रोपनोल/ आईसो प्रोपाइल एलकहोल (एसक्यू) ग्रेड" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1647, दिनांक 28 फरवरी 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1647 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1647/1ए, दिनांक 30 जनवरी 2014 द्वारा संशोधन जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक था।

This is to state that the "ISO PROPANOL/ ISO PROPYL ALCOHOL (SQ) GRADE", against USSR Ethyl Alcohol developed and manufactured by M/s. Thermo Fisher Scientific Pvt. Ltd., Mumbai – 400 022, was issued with Type Approval No.: 1647 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1647, Dated: 28th February 2011 and was subsequently Amended vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1647/1A, Dated: 30th January 2014 with validity up to 31st December 2015.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सिम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय, द्वारा एचएएल नासिक प्रभाग, ओझर टाउनिशप – 422 207, नासिक से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगीं।

This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st August 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), DRDO, Ministry of Defence, C/o. HAL Nasik Division, Ojhar Township – 422 207, Nasik, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

ਪ੍ਰਤ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 1647 F-07-08 F-07-11

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1647, दिनांक 28 फरवरी 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 5 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1647, Dated: 28^{th} February 2011 is Amended as stated herewith.

"[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/ÇEMILAC/5070/टी.ए/TA-1647/1R

दिनांक/Date : **04** August 2016 फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

16 Kighishois

पी जयपाल / **P.JAYAPAL** मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)

मुख्य कायपालक(उड़नयाग्यता) Chief Executive (Airworthiness)